

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

घोषणा अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या: 157/2008

निर्णय दिनांक : 29/06/2022

1. मंगला पुत्र भैरू (मृतक दौराने वाद)
1/1. नानगराम पुत्र मंगला
2. सुकखा पुत्र भैरू
3. लाला पुत्र मोहन (मृतक दौराने वाद)
3/1. भागीरथ
3/2. शंकर लाल
3/3. मांगीलाल
3/4. ओमप्रकाश
3/5. देवानन्द

समस्त जाति रैगर, निवासीयान कीर्ति सागर-जी ब्लॉक, मांग्यावास, मानसरोवर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

-----वादीगण

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव जवाहरलाल नेहरू मार्ग जिला जयपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

-----प्रतिवादीगण



वाद घोषणा दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,
89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार गंगाराम, छोटू गोपी पिसरान नन्दा जाति रैगर, निवासी मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किता -2, दिनांक 12.8.1969 व दिनांक 9.11.1972 से साबिका खसरा नम्बर 35/241 रकबा 7 बिघा 16 बीस्वा तथा खसरा नम्बर 35/247 रकबा 2 बिघा 4 बीस्वा किता 2 कुल भूमि 10 बिघा भूमि वाके ग्राम मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में कय किया तब से राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतरकरण इन्द्राज होकर केता वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रह कर लाभ उठाते आ रहे है। वादीगण ने जो भूमि कय की है उसके तत् समय साबिका खसरा नम्बर 35 (सिवाईचक) थी जिसमें से वादीगण के विक्रेतागण नियमानुसार आवंटन हुयी थी। आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी से खातेदार का नामांतरकरण वादीगण के विक्रेतागण के नाम तस्दीक हुआ था। वादीगण के विक्रेतागण का आवंटन व आवंटन के पश्चात खातेदारी अंकन होने के पश्चात

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

कही से निरस्त नहीं हुये है। आवंटन के पश्चात तथा आवंटी विक्रेतागण के पश्चात केता वादीगण के पास उक्त 10 बीघा का कब्जा जहां आवंटन कमेटी ने जहा कब्जा मौके पर सम्भलाया था वहां ही आवंटन व आवंटन के पश्चात केता वादीगण के पास है लेकिन नक्शा सीट में आवंटन के पश्चात 35/241 व 35/247 नम्बर अंकित नहीं किये यानि खसरा नम्बर 35 के बटा नम्बर आवंटन भूमि का नहीं डाला गया। फिर वादीगण द्वारा उक्त खरीद शुदा भूमि के भौगोलिक कब्जे अनुसार खसरा नम्बर 116 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 169/535 रकबा 0.05 हेक्टर गैरमुकिन रास्ता तथा खसरा नम्बर 123 में मिन रकबा 0.29 हेक्टर कायम किया गया। वादीगण खरीद शुदा भूमि कुल 10 बीघा का नवीन बन्दोबस्ती रकबा 2.50 हेक्टर होता है। लेकिन वादीगण के खाते में उक्त नवीन नम्बरान में से खसरा नम्बर 123 में से मिन रकबा 0.29 हेक्टर भूमि दर्ज नहीं कर के शेष उक्त भूमि उक्त वर्णन अनुसार किता 8 कुल रकबा 2.21 हेक्टर ही दर्ज कर दी यानि 29 हेयर भूमि गत खरीद शुदा भूमि के मुकाबले कम अंकित की है। जबकि वादीगण की उक्त कय शुदा भूमि के समीप खसरा नम्बर 123 सम्पूर्ण के साबिका खसरा नम्बर 35 में गत रकबे के मुकाबले में नवीन रकबे में रकबा की कमी बेसी नहीं की जा सकती है वादीगण की ओर से उक्त इस्तदूआ का दावा पेश कर राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर घोषणा इस बात की चाही है कि नवीन नम्बर 123 रकबा 52 हेयर में से खसरा नम्बर 122 के समीप सीमा जोड खसरा नम्बर 123/1 बटा नम्बर डालकर नक्शे में दुरस्ती कर सम्पूर्ण रकबा में 123/1 रकबा 0.29 हेक्टर जोडकर कुल 2.50 हेक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये जिसमें दिनांक 7.11.2008 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बाद तामिल वकील हाजिर हुये लेकिन उन्होंने बार बार तकाजा और मौका दिये जाने के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं किया। इस पर दिनांक 17.4.2009 को जे.डी.ए को जवाब बन्द कर दिया। लेकिन जे.डी.ए. के वकील हरबार परेवी हेतु उक्त प्रकरण में हाजिर होते रहे। वादीगण द्वारा वाद के साथ किता 10 प्रदर्श पी-1 से पी-11 पेश किये जिसके विरोध स्वरूप तथा खण्डन स्वरूप प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजात साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किये और न अपने जवाब में वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 123 के मिन रकबा 0.29 हेयर बाबत् बटा नम्बर डालकर खातेदारी चाहने के विरोध में किसी प्रकार का विरोध स्वरूप तथ्य अंकित किया। दिनांक 7.11.2008 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा जवाब देही के बाद तथा 27.6.2008 को जे.डी.ए. के परोकार हाजिर होने के बाद भी कोई जवाब व साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 18.11.2011 तक पेश नहीं हो के उपरान्त दिनांक 18.11.2011 को उपलब्ध तथ्य व अभिवचन (कथन) के आधार पर न्यायालय ने तनकीयात कायम की जो निम्न प्रकार है।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

- आया वादीगण खसरा नम्बर 123 के कुल रकबे में से 29 हेयर वाके ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर के काबिज खातेदार काशतकार है। -वादीगण के जिम्मे
- आया वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जे काशत खातेदारी का ही मू भाग था। - वादीगण के जिम्मे
- आया वादग्रस्त भूमि नम्बर 123 का बटा नम्बर करवाकर नक्शे में 29 हेयर का नक्शा अलग कायम करवाने के अधिकारीगण है। - वादीगण के जिम्मे
- आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को प्रतिबन्धित कराने के अधिकारी है। - वादीगण के जिम्मे
- आया वादग्रस्त वर्तमान में चरागाह दर्ज होकर जे.डी.ए. के नाम अंकित है जिसका वाद पर क्या असर है।- जिम्मे प्रतिवादीगण
- दादरसी

वादीगण की ओर से साबित करने के लिये तनकी नम्बर 1, 2, 3 व 4 अहम है। वादीगण ने वाद को साबित करने के लिये वाद के साथ निम्न दस्तावेजात साक्ष्य में पेश किये है।

1. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 - 2066 (पटवार पडत) प्रदर्श-1
2. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 - 2066 प्रदर्श-2
3. नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3
4. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 - 2027 प्रदर्श-4
5. नकल नामांतरकरण संख्या 24 दिनांक 7.7.1970 (प्रदर्श फोटो प्रति)
नकल नामांतरकरण संख्या 41 दिनांक 14.9.1973 (प्रदर्श फोटो प्रति)
6. नकल विक्रय पत्र दिनांक 9.7.1971 (प्रदर्श फोटो प्रति)
7. नकल विक्रय पत्र दिनांक 9.7.1971 (प्रदर्श फोटो प्रति)
8. नकल फ़ैसला दिनांक 15.6.1984 प्रदर्श-5
9. नकल नक्शा साबिका प्रदर्श-6
10. नकल नक्शा हाल प्रदर्श-7
11. नकल नक्शा हाल प्रदर्श-7
12. कानूनी नोटिस दिनांक 27.2.2008 प्रदर्श-8
13. डाक रसीद किता 4 दिनांक 27.2.2008 प्रदर्श-9
14. पवती रसीद किता 4 प्रदर्श-10
15. ज्वाब नोटिस जे.डी.ए. प्रदर्श-11

वकील वादी ने तनकी नम्बर 1 "आया वादीगण खसरा नम्बर 123 के कुल रकबे में से 29 हेयर वाके ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर के काबिज खातेदार काशतकार है। " पर बहस करते हुये बताया कि प्रदर्श 4 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 - 2027 व फोटो प्रति विक्रय पत्र व नामांतरकरण के अनुसार कय भूमि खसरा नम्बर 35/241 रकबा 7 बीघा 16 बीस्वा तथा खसरा नम्बर 35/247 रकबा 2 बीघा 4 बीस्वा किता 2 कुल भूमि 10 बीघा भूमि वाके ग्राम मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की खातेदारी मय कब्जा वादीगण के विक्रेतागण का पूर्ण रूप साबित है जिनसे वादीगण ने 10 बीघा



उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

पक्की भूमि खरीद कर कब्जा काश्त वादीगण का खरीद तारीख से चला आ रहा है। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कराते हुये वकील वादी ने बताया कि विक्रेतागण को 10 बीघा भूमि का आवंटन तथा आवंटन के बाद वादीगण द्वारा 10 बीघा भूमि खरीद करना में विवाद नहीं है। दस्तावेजात से साबित है। लेकिन आवंटन के वक्त साबिका खसरा नम्बर 35 सिवायचक में से आवंटीगण को आवंटन भूमि 35/241 व 35/247 का अंकन राजस्व ट्रेस नक्शे में नहीं किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि साबिका नम्बर 35 में से आवंटित हुयी थी, वादीगण की कय शुदा कब्जे वाली भूमि उक्त का बन्दोबस्ती नम्बर राजस्व रिकार्ड व भौगोलिक स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 116, खसरा नम्बर 117, खसरा नम्बर 118, खसरा नम्बर 120, खसरा नम्बर 121, खसरा नम्बर 122, खसरा नम्बर 169, खसरा नम्बर 169/535, कायम किये गये जैसे कि वर्तमान नक्शा ट्रेस प्रदर्श-7 में दिखाया गया है। लेकिन नवीन नम्बरान में से खसरा नम्बर 123 का मिन रकबा 29 हेयर वादीगण के खातेदारी में दर्ज न कर साबिका खसरा नम्बर 35 के रकबे में सम्मिलित कर दिया गया जिससे वादीगण के खाते में साबिका 10 बीघा के मुकाबले 29 हेयर भूमि कम दर्ज कर 2.21 हेक्टर ही भूमि अंकित की गयी जबकि कब्जा काश्त 2.50 हेक्टर पर चला आ रहा है। वकील वादी ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कराते हुये बताया कि साबिका खसरा नम्बर 35 का 61 बीघा 5 बीस्वा के बराबर 15.30 हेक्टर ही नवीन रकबे में होना चाहिए लेकिन गत रकबे के मुकाबले खसरा नम्बर 35 के नवीन नम्बरान का रकबा 15.61 हेक्टरदर्ज कर दिया है जिससे स्पष्ट है कि साबिका खसरा नम्बर 35 का बन्दोबस्त विभाग ने नवीन नम्बरान कायम कर 31 हेयर ज्यादा अंकित कर दिया है। जो स्पष्ट है। बन्दोबस्त विभाग ने खसरा नम्बर 122 तक खातेदारी वादीगण की दर्ज कर खसरा नम्बर 123 वादीगण की दर्ज न कर साबिका खसरा नम्बर 35 के कायम नवीन नम्बरान में से 123 कायम 52 हेयर दर्ज कर चरागाह में अंकित कर दिया गया जो नियमानुसार सही नहीं है 29 हेयर भूमि वादीगण के कब्जे शुदा भूमि है जो समीप के चरागाह में सम्मिलित कर दी है। जिसे वादीगण दुरस्त करवा कर खसरा नम्बर 122 के जुडवा सीमा खसरा नम्बर 123/1 रकबा 29 हेयर बटा नम्बर डाल कर वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। वादीगण के वकील ने बताया कि इस बाबत् सन् 1971 में ए.एस.ओ. द्वारा भी फैसला किया जा चुका है लेकिन उसका अमल दरामर नहीं हो सकता है। हा ही में प्रस्तुत किये दस्तावेजात से खसरा नम्बर 35 का नवीन नम्बर 123 कायत किया जाना साबित है। इस लिहाज से वादीगण के वकील ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित होने के कारण मांग की है। साथ ही और बताया कि प्रतिवादीगण ने वाद तथा वादीगण के द्वारा मांग की इस्तदूआ का कोई खण्डन नहीं किया न विरोध स्वरूप कोई दस्तावेजात नहीं पेश किये न साक्ष्य मौखिक पेश की जबकि वादीगण ने अपना वाद साबित करने के लिए समस्त दस्तावेजात तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी डब्लू-1 मंगलाराम, पी डब्लू-2 सुखा, पी डब्लू-3 नाथूलाल, पी डब्लू-4 चिमनाराम, पी डब्लू-5 भागीरथ का बयान जिरह करायी जिन्होंने वादीगण के



↓
 छप-खण्ड अधिकारी
 जयपुर (दिल्ली)

वाद तथा कथनों को स्वीकार किया, विपक्षीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की जवाब दावों के अलावा विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावों में उल्लेखित तथ्यों को साक्ष्यों द्वारा साबित न करने की अवस्था उनके कथनों का कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है। इस कारण वादीगण के पक्ष में तनकी नम्बर 1 पूर्णरूप से साबित होने से वादीगण का वाद डिक्री के योग्य है। अपने समर्थन में वकील वादीगण ने RBJ 2021 page no.529 DBRB, RRT 2022 (1) page no. 35, RRT 2016 (1) page no. 374, RBJ 2010 page no.462 पेश कर बताया कि भू. प्रबन्ध विभाग को बन्दोबस्त कार्य के बाद पुराने रकबा क्षेत्रफल खातेदारी अंकन को ही Repeat करना चाहिए तबदील नहीं कर सकता है। RBJ 2020 page no.545 पेश कर निवेदन किया कि खातेदारी घोषणा दुरस्ती के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

तनकी नम्बर 2 “आया वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी का ही भू भाग था।” वकील वादीगण ने इस तनकी बाबत बहस करते हुये बताया कि तनकी नम्बर 1 के विस्तृत बहस में इस बाबत की प्रमाणिकता आ जाती है कि वादीगण की खरीद शुदा भूमि 10 बीघा भूमि जो 2.50 हेक्टर के बराबर होती है खरिद तारीख से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है राजस्व रिकार्ड व साक्ष्य से इस तथ्य की भरपूर ताईद होती है। वादीगण ने जिस जगह पर 10 बीघा का कब्जा प्राप्त किया है उसी जगह आज तक काबिज है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे से इन्कार नहीं किया है। केवल राजस्व रिकार्ड में अंकन होने की बात कही है। इस वजह से तनकी नम्बर 2 वादीगण ने साबित की है। और कब्जे भूमि का इन्द्राज वादीगण अपने नाम कराने के अधिकारी है।

तनकी नम्बर 3 “आया वादग्रस्त भूमि नम्बर 123 का बटा नम्बर करवाकर नक्शे में 29 हेयर का नक्शा अलग कायम करवाने के अधिकारीगण है।” इस तनकी पर बहस करते हुये वकील वादी ने बताया कि जब तनकी 1 व 2 को वादीगण ने अपने पक्ष में होना साबित कर दिया है। वादीगण अपनी कब्जे शुदा भूमि का बटा नम्बर 123/1 रकबा 29 हेयर डलवाकर नक्शा टेस में अंकित कराने का अधिकारी है।

तनकी नम्बर 4 “आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को प्रतिबन्धित कराने के अधिकारी है।” इस तनकी पर बहस करते हुये वकील वादीगण ने बताया कि वादीगण के भार वाली तनकी 1, 2, व 3 है जो वादीगण के पक्ष में साबित हो गयी है। तो फिर भी वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने के अधिकारी है।

तनकी नम्बर 5 “आया वादग्रस्त वर्तमान में चरागाह दर्ज होकर जे.डी.ए. के नाम अंकित है जिसका वाद पर क्या असर है।” इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी न0 2 पर था। लेकिन उन्होंने कोई दस्तावेजात तहरीर व जुबानी पेश नहीं की है। वकील वादी ने इस तनकी पर बहस करते हुये



डा. सुश्री अशोक कुमार
जयपुर (दि. 10/11/2022)

बताया कि जब भूमि सिवायचक थी, सिवायचक भूमि से ही वादीगण के विक्रेतागण को आवंटित हुयी थी। तो नये बन्दोबस्त में सिवायचक से शेष रकबे को चरागाह में सम्मिलित कैसे किया जा सकता है। भू. प्रबन्ध विभाग को किस्म परिवर्तन करने व रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस कारण इस तनकी का निष्कर्ष भी वादी के पक्ष में होकर विरुद्ध प्रतिवादी किया जाना आवश्यक है। उक्त में वकील वादीगण ने समस्त दस्तावेजात को दिखाते हुये इनके इन्द्राजात को वादीगण के पक्ष में अंकित होने के कारण वादीगण को वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया। वकील पेरोकार सरकार ने अपने जवाब दावे में उल्लेखित तथ्यो मात्र को दोहराते हुये वाद खारिज करने का निवेदन किया पेरोकार जे.डी.ए. ने उपस्थित नहीं आया, लेकिन बहस में भाग नहीं लिया और जवाब को ही बहस मान लेना निवेदन किया। हमने पत्रावली का तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन तथा वादीगण वकील की बहस पर मनन किया जिस पर तनकी का निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी नम्बर 1 "आया वादीगण खसरा नम्बर 123 के कुल रकबे में से 29 हेयर वाके ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर के काबिज खातेदार काशतकार है।" इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने 10 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रिकार्डेड काबिज खातेदार काशतकार से खरीद करके वाद प्रस्तुत किया जिसके मुतालिक जमाबन्दी विक्रय पत्र व नामांतरकरण की प्रतिया पेश की खसरा गिरदावरीया पेश की है जिसमें वादीगण 10 बीघा के काबिज खातेदार काशतकार अंकित है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने कोई ऐसा दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादीगण 10 बीघा भूमि पर काबिज नहीं रहे, न शेष 29 हेयर भूमि वादीगण के कब्जे काशत में नहीं हो। इससे हम वादीगण के पक्ष में तनकी नम्बर 1 सिद्ध होना पाते है और यह प्रमाणित होना मानते है कि वादीगण खसरा नम्बर 123 के मिन रकबा 29 हेयर के काबिज काशतकार है।

तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था वादीगण ने अपने पक्ष में तनकी नम्बर 1 सिद्ध कर दी है तो फिर प्रस्तुत दस्तावेजात खसरा गिरदावरी मिलान क्षेत्रफल के अनुसार यह सिद्ध होना माना जाता है कि वादीगण की खरीद शुदा भूमि का ही भू. भाग 29 हेयर का था। जिसकी खातेदारी वादीगण अपने नाम अंकित कराने के अधिकारी है।

तनकी नम्बर 3 "आया वादग्रस्त भूमि नम्बर 123 का बटा नम्बर करवाकर नक्शे में 29 हेयर का नक्शा अलग कायम करवाने के अधिकारीगण है।" इस तनकी का भार भी वादीगण पर है वादीगण ने तनकी नम्बर 1 व 2 पूर्ण रूप से अपने पक्ष में साबित कर दी है। वादीगण का कब्जा 10 बीघा भूमि पर है लेकिन बन्दोबस्ती कार्यवाही के बाद वादीगण के खाते में रकबा 10 बीघा के मुकाबले 2.50 हेक्टर दर्ज न कर 2.21 हेक्टर ही दर्ज कर दिया। 29 हेयर अंकित की है। राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत साक्ष्य तथा वकील वादीगण की बहस से यह साबित है कि वादीगण का रकबा 29 हेयर कम हो गया है। यह रकबा वादीगण की सीमाजोड सीमा खेत में से ही दिया जाना मुकमबिल होना क्योंकि



उप-खण्ड अधिकारी
खसरा विभाग

कब्जा भी वादीबण का माना है। अतः खातेदारी वादीगण की खसरा नम्बर 122 के सीमा जोड 123 में बटा नम्बर डालकर 123/1 रकबा 29 हेयर वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने में सफल होने से नक्शा शीट में बटा नम्बर डलवाने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है। तनकी नम्बर 4, 5 व 6 भी वादीगण के पक्ष में तनकी 1, 2 व 3 सावित होने से वादीगण के पक्ष में तय की जाती है। क्योंकि तनकी नम्बर 1, 2 व 3 के विरोध में प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजात साक्ष्य पेश नही किया है। अतः तनकी नम्बर 4, 5 व 6 भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। और तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि वादीगण के नाम हाल खसरा नम्बर 123 रकबा 29 हेयर वाके ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर की खातेदारी वादीगण के नाम अंकित कर और राजस्व नक्शे में वर्तमान खसरा नम्बर 122 के जुडवा ही बटानम्बर 123/1 डालकर 29 हेयर का अंकन वादीगण के नाम अंकित किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उप-खण्ड अधिकारी
(राजेश कुमार शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर